परिपत्र संख्या 11/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज., "कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)(7)विधि/10/ 272-722 दिनांकः 20|4|10

परिपत्र

विषयः कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मुद्रांक शुल्क की वसूली बाबत।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क निर्धारण का आदेश पारित करने के उपरांत देय मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है, जिसके कारण बकाया वसूली की राशि में वृद्धि हो रही है। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 32 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया हुआ है।

उक्त अधिनियम की धारा 56 के तहत मुद्रांक शुल्क, पैनल्टी एवं अन्य वसूली योग्य राशि के लिए कलक्टर (मुद्रांक) को यह अधिकार प्रदान किया हुआ है कि बाकीदार की चल व अचल सम्पत्ति को विक्रय कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बकाया मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)(7)विधि/10/272-722 दिनांकः 20|4|10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
8. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

20|4|10
उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर